भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-762

दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में पदोन्नति नीति

†762. श्री गोडम नागेशः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 2023-2024 में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) में ई-8-ई-9 के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) के गठन में देरी हुई थी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 2025 की पदोन्नति नीति के पूर्वव्यापी रूप से लागू होने के कारण वरिष्ठ अनुसूचित जाति (एससी)/ अनुसूचित जनजाति (एसटी) अधिकारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) हेतु मानदंडों को नकारते हुए पदोन्नति संबंधी मूल्यांकन के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) को प्रतिस्पर्धी बोली के बिना नियुक्त किया गया था और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ई-7-ई-8 में एससी/एसटी पदोन्नति का नहीं होना और ई-5-ई-6 में एसटी अधिकारी को पदोन्नति से वंचित करना योग्यता की आड़ में सुनियोजित बहिष्करण को दर्शाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आपराधिक मामले का सामना कर रहे एक अधिकारी को पदोन्नति पैनल में रखा गया और बरी होने के तुरंत बाद पदोन्नत किया गया था; और

(च) क्या सरकार मानती है कि पीएफसी में इन बदलावों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और सुस्थापित पदोन्नति सम्बंधी मानदंड कमजोर हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (च) : पावर फ़ाइनेंस कार्पोरेशन(पीएफसी) में वर्ष 2023 के लिए ई-8 से ई-9 को छोड़कर सभी स्तरों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) प्रक्रिया, समय पर आयोजित की गई थी, क्योंकि डीपीसी की

कट-ऑफ तिथि (01.07.2023) को ई-9 स्तर पर कोई रिक्तियां नहीं थीं। पीएफसी की जनशक्ति योजना और पदोन्नति नीति में संशोधन वर्ष 2024 (01.07.2024) के लिए डीपीसी की कट-ऑफ तिथि से पहले निदेशक मंडल (बीओडी) के साथ विचार-विमर्श और चर्चा के अधीन था, जिसे दिसंबर 2024 में अनुमोदित किया गया था। इसके बाद 2024 और 2025 के लिए डीपीसी प्रक्रिया अप्रैल 2025 में पूरी की गई थी।

समग्र व्यावसायिक रणनीति के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए जनशक्ति योजना और निष्पादन प्रबंधन सहित पीएफसी की कॉर्पोरेट रणनीति तैयार करने में सहायता करने के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) को बोली आमंत्रित करने के बाद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। पीएफसी में ई-7 से ई-8 तक की पदोन्नति निर्धारित नीति के अनुसार रिक्ति आधारित तथा पदोन्नत किए जाने वाले परिभाषित अधिकारियों के अधिकतम प्रतिशत की सीमा के अनुसार सीमित होती है। ई-5 से ई-6 पदोन्नति में भी, पदोन्नत किए जाने वाले अधिकारियों के अधिकतम प्रतिशत की सीमा को नीति में परिभाषित किया गया है। आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले किसी भी अधिकारी की उम्मीदवारी पर तब तक विचार नहीं किया जाता है जब तक कि उसे अदालत द्वारा अपराध से बरी नहीं कर दिया जाता है।

इसके अलावा, पदोन्नति रिक्ति आधारित है और पदोन्नत किए जाने वाले अधिकारियों के अधिकतम प्रतिशत की सीमा भी निर्धारित नीति के अनुसार है। तदनुसार, सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को उपलब्ध पदों के आधार पर पदोन्नति के लिए बिना किसी भेदभाव के पदोन्नत किया जाता है/छोड़ दिया जाता है।

उपयुर्क्त के मद्देनजर, पीएफसी की पदोन्नति नीति निष्पक्षता, समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू की जाती है।

****